

के आलोक में **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण कोटि के सदस्य** द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। **विवाहित महिला अभ्यर्थी** के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

xiii) निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम 49) के प्रावधानों के अधीन निःशक्तजनों के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधान विशेष शाखा, बिहार में 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) की नियुक्ति पर **लागू नहीं होंगे**।

xiv) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। **ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा**। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। आरक्षण कोटि निम्नवत हैं:-

क्रम सं०	आरक्षण कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

xv) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है।

xvi) **सभी वांछित प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है**। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. **चयन के लिए परीक्षा संरचना** - 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) की रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे:

(क) **प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा'** - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु-सत्रीय/ बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

(ii) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। **प्रथम प्रश्न पत्र** -

90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जो 100 अंक का होगा। **द्वितीय प्रश्न पत्र** - 90 मिनट का होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे, इसका भी पूर्णांक 100 अंक होगा।

(iii) **ऋणात्मक अंकन (Negative Marking)** - उपर्युक्त कण्डिका (ii) में वर्णित दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा।

(iv) **लिखित परीक्षा का विषय एवं प्रकार** - लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगी। ओ0एम0आर शीट/ उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति चयन पर्षद के पास रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी।

परीक्षा का प्रकार		समय	अंक
वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा	प्रथम पत्र- 100 अंक (i) तार्किक एवं विशलेष्णात्मक योग्यता (Reasoning and analytical ability) (50 अंक) (ii) अंग्रेजी व्याकरण, बोध एवं अनुवाद (English Grammar, Comprehension & Translation) (30 अंक) (iii) हिन्दी व्याकरण (20 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)	90 मिनट	100 अंक
	द्वितीय पत्र - 100 अंक (i) सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना (50 अंक) (ii) गणित परिमाणात्मक कौशल (Mathematics and Quantitative Aptitude) (30 अंक) (iii) बिहार के सामान्य ज्ञान (20 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)	90 मिनट	100 अंक

(v) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे। दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं में 30 प्रतिशत का न्यूनतम अर्हतांक अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(vi) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 3 गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। कोटिवार समान कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

(viii) बिहार पुलिस मुख्यालय पत्र सं0/सा0शा0/सं0सं0-121/2025/6100 दिनांक 28.11.2025 के आलोक में कण्डिका (iv) में वर्णित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं को समेकित रूप से मुख्य लिखित परीक्षा की संज्ञा दी जाएगी तथा मुख्य लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार होगी।

(ख) द्वितीय चरण - शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा (PST) -

(i) लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

(iii) शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/ मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) शारीरिक मापदण्ड विज्ञापन की कण्डिका 4 (ii) के अनुरूप होंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप योग्य नहीं पाये जायेंगे उन्हें असफल घोषित किया जायेगा। शारीरिक मापदण्ड के लिए कोई अंक देय नहीं होगा।

(ग) तृतीय चरण – दस्तावेज सत्यापन :

(i) शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्षद द्वारा किया जाएगा।

(ii) दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनके एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद अभ्यर्थी की अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावे के संबंध में तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 4 का अध्ययन भली भाँति कर लेंगे एवं आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन भरते समय **शैक्षणिक अर्हता** एवं **आरक्षण** से संबंधित सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित काल अवधि/ कट-ऑफ तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध हैं।

(iv) दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे:

- i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।
- ii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)।
- iii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
- iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
- v. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए –
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए–
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र; एवं
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
 - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म – xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए -

- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण-पत्र (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा); एवं
- स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।

viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए -

- सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में निर्गत प्रमाण-पत्र; एवं
- स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।

ix. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

6. मेधा सूची का निर्माण -

(क) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।

(ख) अंतिम मेधा सूची के लिए आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हकारी अंकों का मानदण्ड सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या - 11/आ0-विविध-06/2017 सा0प्र0 12167 दिनांक 04.09.2019 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) के अनुरूप होगी, जो निम्नवत् है -

• गैर आरक्षित कोटि (सामान्य वर्ग)	-	40 प्रतिशत
• पिछड़ा वर्ग	-	36.5 प्रतिशत
• पिछड़ा वर्ग एनेक्शचर -1 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	-	34 प्रतिशत
• अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएँ	-	32 प्रतिशत

जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे।

(ग) लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा अर्थात् उच्च में वरीय अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हों तथा समान शैक्षणिक योग्यता वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके दसवीं बोर्ड परीक्षा के प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित नाम के हिन्दी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(घ) “केन्द्रीय चयन पर्षद” न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में अध्याचित संख्या अनुसार नामों की अनुशंसा करेगा।